

३०/०१/१९

१/१/१९

कडील आर्पी उफा

आधिकार आर्पी आर्चना पत्र का पालना नही पाठने है।

डिन: एल्ले रजिस्ट्रार आर्पी एल्ले रजिस्ट्रार आर्चना पत्र खारिज

बिना जात्र है निर्णय सुनाया गया।

पदावली के लिये सुझाव देकर जारि है एल्ले रजिस्ट्रार है।

एल्ले रजिस्ट्रार

०९.०१.१९

राजनीतिक दल में
यहाँ नहीं पाठने
आधिकार
पत्र
३०/०१/१९